सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः— श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस.

2016/00138

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 50/2016

अनवान :—

महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

.....प्रार्थी

—: बनाम :—

1— श्री शिवलाल पुत्र श्री हुकमाराम जाट (विक्रेता) मैसर्स राजेश दूध भण्डार, सुदर्शनानगर, बीकानेर

2— श्री राजुराम (मालिक) मैसर्स राजेश दूध भण्डार, सुदर्शना नगर, बीकानेर

..... अप्रार्थीगण

::प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011::

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी पक्ष — श्री महमूद अली, खा.सु.अधिकारी
2. अप्रार्थीगणों की ओर से — श्री गोविन्द डूडी अधिवक्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

—: निर्णय :— **दिनांक : 12.02.2018**

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11.6.2016 को अप्रार्थीपक्ष विक्रेता शिवलाल पुत्र हुकमाराम जाट (विक्रेता) मैसर्स राजेश दूध भण्डार, सुदर्शनानगर, बीकानेर के यहां उक्त दुकान पर निरीक्षण के दौरान एक टंकी में करीब 15 लीटर गाय का दूध आम जनता की बिकी हेतु रखा हुआ था । तदन्तर मिलावट का शक होने पर इस दूध में से 2 लीटर दूध पेलेन्जर से हिलाहिला कर जांच हेतु 56 रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त दूध को चार बराबर भागों में बांटकर कांच की सूखी शीशीओं में भरकर 40—40 फार्मेलिन की बूंदे डालकर अच्छी तरह हिलाकर विहित प्रकियानुसार शीशीओं को सीलबन्द पैक करके एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 27.06.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गाय के दूध का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री गोविन्द डूडी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। तद्न्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से गाय के दूध का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk solids not fat % Min.=8.5 की तुलना में 7.8 प्रतिशत का पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह भी निवेदन किया है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में अप्रार्थी की दूध की छोटी सी दुकान है, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी अच्छी किस्म का दूध का विक्रय करता है तथा उसमें कोई मिलावट नहीं करता है और ना ही अप्रार्थी अपनी दुकान पर मिलावटी दूध विक्रय करता है, जैसा दूध गाय के थन से निकाला जाता है वैसा ही ग्राहकों को विक्रय किया जाता है। दूध किस किस्म का है यह इस बात पर निर्भर करता है कि गाय को गाय का मालिक किस प्रकार का पौष्टिक चारा, बांटा, चाटा देता है इसलिए इस बिन्दु पर कई प्रकार के तथ्य निर्भर करते है जबकि अप्रार्थीगण के दूध में फेट की मात्रा सही है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि अप्रार्थी अपने स्वयं की गाय व भैंस नहीं रखता है बल्कि दूध गांव से दूध लोगों से मंगवाते है एवं सामने दूध दुआ कर बाहर से लाना संभव नहीं है एवं गांवों से जो गवाले दूध अप्रार्थीगण को देकर जाते है उसे वे बेच कर अपनी आजीविका चलाते है। अकाल पड़ने व तूड़ी का कचरा खाने से वे चाटा व बांटा सही व शुद्ध जो बाजार में उपलब्ध है उसके अनुसार दूध सही व अन्य दूध विक्रेता से अप्रार्थीगण का दूध अच्छी किस्म का है। गांवों से जो गवाले दूध लेकर आते उन पर विश्वास कर ही विक्रय करते है । उक्त दूध का नमूना गर्मियों में लिया गया है, जहां तक दूध की गुणवता का सवाल है, गर्मियों के मौसम में वहां गायों के खानपान, उनकी नस्ल, वहां की जलवायु एवं टंकी साफ पानी से धोने दूध में भिन्नता हो सकती है। जिससे दूध के मानक स्टेण्डर्ड में कमी आ सकती है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा रही है बल्कि अप्रार्थी पक्ष स्वयं मिलावट के खिलाफ है। दूध में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो इसके लिए अप्रार्थीगण द्वारा आयन्दा के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। इसके विपरीत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस का खण्डन करते हुवे बताया कि अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर दूध का सैम्पल लिया गया जो सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है।

अति॰ जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिर्पोट क्रमांक एलएस/1940/एक्ट/2016/2346 दिनांक 27.6.2016 संलग्न है। इस रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया दूध Milk Solids not fat percentage Min.=8.5 की तुलना में 7.8 प्रतिशत का पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है । खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में यह प्रावधान किया गया है कि "कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विकय के लिये विनिर्माण या मानव उपभोग के लिये भंण्डारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का जो पांच लाख रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।" चूंकि प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीगण द्वारा मानव उपभोग के लिये दूध का भण्डारण कर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था जो जन विश्लेषक, जयपुर की रिर्पोट से सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। ऐसी अवस्था में अप्रार्थी द्वारा बचाव में पेश किये गये तर्क सही नहीं होने से अस्वीकार किये जाते हैं। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड का दूध विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंधन किया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों पर हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुवे इस कृत्य के लिये उन पर धारा 51 के तहत 25,000/– (अखरे रूपये पचीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है एवं अप्रार्थीगण को यह हिदायत भी देते है कि भविष्य में वह इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करे और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(यशवन्त भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner